न्यायालय न्यायिक मजि०भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

मु०नं०- ९०५/१७

सरकार बनाम राजकुमार आदि।

धारा ३२३,५०४,५०६ भा०द०सं०

थाना देवराहट ,कानपुर देहात ।

आरोप

मैं,विवेक कुमार सिंह-प्रथम, न्यायिक मजि० भोगनीपुर,कानपुर देहात आप राजकुमार**,**कातिल उर्फ कमल सिह**,**अचल सिह को निम्नवत आरोपित करता हूं ।

प्रथमतः यह कि दिनांक १४.५.२०१६ को समय करीब ३.०० बजे शाम बहद ग्राम बरौली बाजार थाना देवराहट कानपुर देहात के अन्तर्गत आप लोगो ने सामान्य आशय की पूति में वादी मुकदमा को मारपीट कर साधारण चोटें पहुंचायी । इस प्रकार आप लोगो ने धारा **३२३** भा०द०सं० के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय की पूति में स्वेच्छया पूवर्क वादी मुकमदा को गाली गलौच करते हुए लोकशान्ति भंग करने हेतु प्रकोपित किया । इस प्रकार आप लोगो ने धारा **५०४** भा०द०सं० के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय की पूति में स्वेच्छया पूवर्क वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी । इस प्रकार आप लोगो ने धारा ५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक १८.७.२०१८

(विवेक कुमार सिंह–प्रथम,)
न्यायिक मजि०भोगगनीपुर
कानपुर देहात ।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की माग की ।

दिनांक १८.७.२०१८

(विवेक कुमार सिंह–प्रथम,)
न्यायिक मजि०भोगगनीपुर
कानपुर देहात ।

सेवा में,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय,
स्टेशनरी विभाग,कानपुर देहात।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को जो नयी प्रिन्टर मशीन उपलब्ध करायी गयी थी उसका कार्टज समाप्त हो गया है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थी को नया कार्टज उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। महान दया होगी।

प्रार्थी

दि० १८.७.१८

(दिनेश चन्द्र कटियार,)
आशुलिपिक
न्यायालय सिविल जज,जू०डि०,भोगनीपुर,
कानपुर देहात।

अग्रसारित

सिविल जज,जू०डि०,
भोगनीपुर,कानपुर देहात।